

~~2017RAAJU223RTA108 Smt Ramkanwari n ORS~~

जिल्हा

फील्डर अडिक्सी श्री बरदादल बरड, आर.ए.एस.

2017RAAJU223RTA062 Santoksingh Vs Smt Ramkanwari n ORS
2017RAAJU223RTA108 Smt Ramkanwari Vs Santoksingh n ORS

(1) 2017RAAJU223RTA062 Santoksingh Vs Smt Ramkanwari n ORS

सदोक्तिए पूज अरलल मली
जिवरसी वलवल वेल, वेलुगुल, मउर
जल्लु

----- अडललुल

बलल

1. श्रीमदी रलकवरी पूज अरलल वडलल (मली)

2. वलरलल पूज रलकवस वडलल (मली)

3. श्रीमदी पूज वडलल पूजल सलवलरल वडलल (मली)

जलरललल वल वल वलरलल वल वलरलल वल वलरलल

4. रलरलल रल

वरल वडलललल, जल्लु

----- रल

अडल अलवल वल 223 रलरलल

कलरकलरी अडललल, 1955 वरललक

जलल सडलक कलर (कलर डेक)

जल्लु डलक 29 मड 2017 रलरल वल

सल 153/2017 श्रीमदी रलकवरी वल

सदोक्तिए व अल

----- 0 -----

अडलल

श्री सलरलललल रलरललल, अडललल-अडललल

श्री वडलल वल, अडललल-रल, सल १क

श्री वलरल वलरल, अडललल-रल, सल व वल

श्री वलरल वलरल, रलकल अडललल-रल, सल वल

(2) 2017RAAJU223RTA108 Santoksingh Vs Smt Ramkanwari n ORS

श्रीमदी रलकवरी पूज अरलल वडलल (मली)

जलरलल वलरल, मउर

जल्लु

मल
अडललल वलरलल
अडललल

श्रीमती रामकवती बलाम संतोक्सिंह व अन्य से
जोधपुर
श्रीमती रामकवती बलाम संतोक्सिंह व अन्य से

संख्या 153/2017 श्रीमती रामकवती बलाम संतोक्सिंह व अन्य से
(फास्टेक) जोधपुर (कैम्प कोर्ट खोखरिया) द्वारा राजस्व वाद
विज्ञान सहायक कलेक्टर एवं काराधानक मजिस्ट्रेट
दिनांक : 11 फर., 2020

जि नं ५

श्री प्रदीप दयाल देव, अधिवक्ता-अपीलान्त
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पा. संख्या एक
श्री शैलेंद्र चौहान, अधिवक्ता-रेस्पा. संख्या दो व तीन.
श्री हंसराज चौहरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पा. संख्या चार

उपस्थित-

----- 0 -----

संतोक्सिंह व अन्य

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
कारावकारी अधिविधायक, 1955 बरसोबास
जोधपुर सहायक कलेक्टर (फास्टेक)
जोधपुर दिनांक 29 मई 2017 राजस्व वाद
संख्या 153/2017 श्रीमती रामकवती बलाम




रेस्पा. -----

1. संतोक्सिंह पुत्र भारलाल रहलाल (आर्ली)
जोधपुरी जोगावती बेरा, जोधपुरी मण्डर
2. धनराज पुत्र रामबक्स रहलाल (आर्ली)
जोधपुर
3. श्रीमती पूषा रहलाल पत्नी सारलाल रहलाल (आर्ली)
जोधपुरी जोगावती बेरा, जोधपुरी मण्डर
4. राजस्थान राज्य
जोधपुरी जोगावती बेरा, जोधपुरी मण्डर


व नं ५

अपीलान्त -----



वार्डनी श्रीमती रामकवती के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस
 पत्रवा की राशी और कथन किया गया कि वादग्रह आराजी पूर्व में
 रामकवती जी की खातेदारी श्रीमती श्री, जो उनके देहांत के बाद उनके
 जीवन पूर्व में अधिवक्ता व सावधानी में लिखित हुई,

232 की नवीरे पेश की।
 364, 1993 आरआरडी 94, 1993 आरआरडी 505 एवं 1993 आरआरडी
 बहस के समर्थन में अधिवक्ता-प्रतिवादी ने 2008 डीएनए (एससी)
 समर्थन में अधिवक्ता के प्रमाणों की जाँच की है। अपनी
 बहस में अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है तथा उसे साबित करने
 के लिए अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है। अधिवक्ता को
 प्रमाणों के अभाव में बताया है। अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है।




साध ही यह भी बताया कि विधायक पर स्वयं वार्डनी
 की साख है। अतः वह एस्टेट बार्ड में है। अधिवक्ता-प्रतिवादी ने
 यह भी कथन किया कि बहस में अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है।
 अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है। अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है।
 अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है। अधिवक्ता को प्रमाणों के अभाव में बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

...

आरजी के 1/6 हिस्से बाबत खातेदार घोषित कर दिये जाने के द्वारा अधीनस्थान आदेश कर दिया गया। वार्डिनी को वादावत सशरीरान्तु हुआ, उन पर और किये बिना ही अधीनस्थान व्यापारण होती है। सन् 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में जो परिवर्तन आइं और रामवत्स के जीवन पर्यन्त एन्डोर्सिड की सहाय से अधीनस्थान की एकमात्र जगह बना सतान है, जिसकी प्रति अधीनस्थान के निर्णय में सशरीरान्तु का निर्देशन करते हुए कथन किया कि वार्डिनी स्वतन्त्र रखा। इसी संदर्भ में अधिवक्ता-वार्डिनी ने अधीनस्थानतु हुए वार्डिनी को सहाय व्यापारण के समक्ष कार्यावाही करने हेतु इससे पूर्व किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं मानते स्वयं को प्राप्त नहीं होने हेतु तथा रामवत्स अधीनस्थान में प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार अधीनस्थान व्यापारण द्वारा देवान किया जा चुका था। पूर्वोक्त विषय विवेक को ध्यान एवं आरजी के एक-दो हिस्से का पूर्वोक्त विषय विवेक के निर्णय खातेदार घोषित कर दिया। अगर वार्डिनी के पिता द्वारा वादावत मानते हुए अधीनस्थान व्यापारण द्वारा वार्डिनी को 1/6 हिस्से की पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू होने वार्डिनी के पिता का देहान्त 01 अप्रैल 2005 के बाद हुआ है। उस दोनों का 1/6 तथा 1/6 हिस्सा बनता है। उल्लेखनीय है कि बनता है अधीनस्थान सहाय संख्या 39 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा में सतीकसिंह दत्तक पुत्र अधीनस्थान आजीक बरबर - बरबर दक-हिस्सा बनता है) के हिस्से की भीम में वार्डिनी तथा परिवारी संख्या एक के पुत्र होने के आधार पर वादावत आरजी में एक तिहाई हिस्सा दत्तक ग्रहण किया था, इस कारण अधीनस्थान, (जिनका रामवत्स जी परिवारी संख्या एक सतीकसिंह को वार्डिनी के पिता अधीनस्थान ने




 2017RAAJu223RTA062 Smt Ramkanwari Vs Santok Singh n ors
 2017RAAJu223RTA108 Smt Ramkanwari Vs Santok Singh n ors
 (नवदल वारड)

दिनांक 11/2/2020
 दिनांक 11/2/2020
 दिनांक 11/2/2020

वाले।

अर्जसम करके हुए जो कि से ज्ञात/विदित दिनांक परित किया
 समर्पित अवसर पदान किना जाकर निरामाजस्य विधिक अधिकार का
 समस्त आवश्यक पक्षकारण की अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का
 प्रतिवादी संख्या एक संतोकिसेह दलक पर अवरलाल माली सहित
 के साथ अधीनस्थ ज्ञात/विदित दिनांक 11/2/2020 है कि
 डिक्ली दिनांक 29 मई 2017 अपरांत किसे जाकर प्रकण इस दिने
 अधीनस्थ तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ दिनांक 11/2/2020
 दिनांक 11/2/2020 पर डिक्ली परित किसे जाये है। अतः प्रस्तुत दोनों अधीन
 स्थित माली संख्या 11/2/2020 पर कार्यवाही करते हुए ही अधीनस्थ
 द्वारा अपने समक्ष दिवारधीन प्रकण संजीदगी से कार्यवाही किसे
 इन परिस्थितियों में जाहिर है कि अधीनस्थ ज्ञात/विदित
 दिनांक 11/2/2020 है।



वा जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ दिनांक 11/2/2020 में
 धारित नहीं हो जाते, जिनसे रिपोर्ट में अमल-दस्तावेज नहीं किया
 है कि जब तक वेदान्त/माली संक्षम ज्ञात/विदित से सौंथ एवं प्रभावहीन
 खातेदार धारित किया जाये है, वही दूसरी ओर यह भी कहा जाया
 में एक और नहीं वारिणी को वादवस्तु आराजी के 1/6 हिस्से का
 अवलोकन करने पर यह भी पता जाता है कि अधीनस्थ दिनांक
 के इतराक्षर नहीं है। इतना ही नहीं, अधीनस्थ दिनांक का